साबरकांठा में उप-डाकघर का बंद किया जाना

2217. **श्री मीर्जा इर्शादबेग :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता को डाकघर की सुविधा देने संबंधी मापदंड क्या हैं और क्या इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना है ।

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात के साबरकांठा जिले के मोडापा शहर में कालेज कैम्पस के छात्रों और इसके इर्द-गिर्द रहने वाले लोगों को डाक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कालेज कैम्पस में उप डाकघर खोला गया था ;

(ग) यदि हां तो क्या अब इस उप-डाकघर को बन्द कर दिया गया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि महानिदेशक, डाक सेवा, गुजरात ने एक संसद सदस्य को सूचित किया है कि इस उप डाकघर को रु० 5442.99 का घाटा होने के कारण बन्द कर दिया गया है ;

(ङ) क्या उक्त डाकघर को बन्द कर देने से छात्रों में व्यापक असंतोष व्याप्त है ; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त उप डाकघर को पुनः खोलने का विचार रखती है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के विभागीय मानदण्ड विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिए) इन मानदण्डों पर नए पदों के सृजन पर लगी पाबंदी लागू होती है । शहरी क्षेत्रों के डाकघरों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह डाकघर बंद कर दिया गया है क्योंकि इसे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं पाया गया ।

(घ) जी हां, वैसे गुजरात डाक सर्किल के इंचार्ज पोस्टमास्टर जनरल हैं न कि महानिदेशक ।

(ङ) जी नहीं, इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(च) चूंकि डाकघर को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार बंद किया गया था, अतः उक्त उप डाकघर को पुनः खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिये मानदंड

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं:—

(1) डाकघर वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए ।

(2) 20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 कि० मी० होनी चाहिए । अन्य शहरों में, दो डाकघरों के बीच कम से कम 1.5 कि० मी० होनी चाहिए ।

(3) सर्किलों के अध्यक्ष प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं ;

(4) शहरी क्षेत्रों में केवल अपवाद स्वरूप मामलों जैसे स्लम एरिया जहां कि उचित किराए पर उपयुक्त विभागीय भवन उपलब्ध नहीं होते, में ही अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले जा सकते हैं ।

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और

2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलना

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं।

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो ; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की रकम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए;

(ख) प्रस्तावित डाकघर में 3 कि० मि० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो

(2) आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलना

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांवों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो; और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर पंचायती ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 1.5 कि० मि० की दूरी के अंदर ग्रामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मि० की दूरी में कोई अन्य डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतितत आय होने की संभ वना हो।

(3) इनके अलावा, पोस्टमास्टर जनरल प्रत्येक वर्ष डाकघर खोलने के 10 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त मानदंडों में से किसी भी एक मानदंड (आंतरिक वित्त सलाहकार से विचार विमर्श करके) में छूट दे सकते हैं।

Price fixation of betametiiag one

2218. DR. JOSEPH LEON D'SOUZA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refgr to the answer to Unstarred Quesion 607 given in he Rajya Sabha on the 29th July, 1985 and state:

(a) whether it is a fact that Delhi High Court directed Glaxo to keep aside